भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2306
(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई - III की स्थिति

2306. डॉ. शशि थरूर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- III (पीएमजीएसवाई-III) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों का कुल प्रतिशत राज्य-वार कितना है;

(ख) क्या सरकार ने तत्संबंधी में मार्च 2025 की समय-सीमा को पूरा करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-III के अंतर्गत दिनांक 05.12.24 की स्थिति के अनुसार देश भर में 1,25,000 कि.मी लंबाई की लक्षित लंबाई में से कुल 1,21,896 कि.मी लंबाई की सड़क स्वीकृत की गई है और 86,514.56 कि.मी (71%) सड़क का निर्माण किया गया है। कुल 34,560.92 किमी (स्वीकृत लंबाई का 29%) वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में है। पीएमजीएसवाई III कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा मार्च, 2025 है। पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत शेष सड़क लंबाई का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग): पीएमजीएसवाई में कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए सुनिर्धारित निगरानी प्रणाली है, पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों और राज्यों के साथ अधिकार पूर्व/अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। उपर्युक्त के अलावा , सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रखरखाव पहलुओं सहित योजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न 2306 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत सड़क कार्यों (05.12.2024 की स्थिति के अनुसार) का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

सड़क लंबाई किलोमीटर में

		कुल स्वीकृत			निर्मित			शेष*		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई	लंबी दूरी के पुलों (एलएसबी) की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई	एलएसबी की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई	एलएसबी की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	32	200	0	0	0	0	0	200	0
2	आंध्र प्रदेश	404	3,143.52	74	279	2,123.17	3	125	938.46	71

3	अरुणाचल प्रदेश	170	1,366.27	66	6	103.06	3	164	1,262.43	63
4	असम	654	4,247.11	69	470	3,385.57	13	184	851.41	56
5	बिहार	729	6,146.71	607	433	4,047.86	105	296	2,016.84	502
6	छत्तीसगढ	534	5,605.61	112	534	5,582.88	35	0	0	77
7	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	गुजरात	304	3,015.37	191	273	2,760.63	1	31	223.92	190
9	हरियाणा	259	2,496.33	0	253	2,448.07	0	6	16.09	0
10	हिमाचल प्रदेश	299	3,123.12	22	8	250.48	0	291	2,872.38	22
11	जम्मू और कश्मीर	223	1,752.12	66	113	1,098.24	0	110	648.97	66
12	झारखंड	449	4,130.23	145	143	1,807.20	0	306	2,313.93	145
13	कर्नाटक	825	5,603.48	116	765	5,322.15	107	60	167.98	9
14	केरल	284	1,421.07	11	63	459.7	0	221	955.98	11
15	मध्य प्रदेश	1,075	12,347.91	800	904	11,643.53	466	171	549.78	334
16	महाराष्ट्र	1,009	6,499.44	223	338	2,916.08	0	671	3,553.51	223
17	मणिपुर	56	502.24	0	0	0	0	56	502.24	0
18	मेघालय	143	1,225.41	55	7	88.11	0	136	1,137.31	55
19	मिजोरम	17	487.5	0	0	0	0	17	487.5	0
20	नागालैंड	45	562.58	0	0	0	0	45	562.58	0
21	ओडिशा	1,401	9,351.08	148	1,011	7,984.49	71	390	1,238.18	77

22	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	335	3,337.64	32	180	1,992.03	9	155	1,336.05	23
24	राजस्थान	918	8658	41	815	8,153.78	19	98	383.01	22
25	सिक्किम	45	285.9	0	0	1.2	0	45	284.7	0
26	तमिलनाडु	1,814	7,317.83	83	1,132	4,366.57	9	682	2,927.54	74
27	त्रिपुरा	100	781.15	6	2	52.07	0	98	728.92	6
28	उत्तर प्रदेश	2,558	18,921.63	4	2,161	16,984.25	4	397	1,747.75	0
29	उत्तराखंड	212	2,287.95	0	14	478.38	0	198	1,809.56	0
30	पश्चिम बंगाल	562	4,236.88	6	48	597.04	0	514	3,636.90	6
31	तेलंगाना	361	2,423.14	138	169	1,573.38	30	192	812.05	108
32	लद्दाख	50	418.37	0	1	23.42	0	49	394.95	0
कुल:		**15,867**	**1,21,896**	**3,015**	**10,122**	**86,243.31**	**875**	**5,708**	**34,560.92**	**2,140**

** शेष सड़क की लंबाई स्वीकृत और पूर्ण लंबाई के अंतर से कम है, क्योंकि कुछ परियोजनाएं सड़क की लंबाई में कमी, मार्गरेखा में परिवर्तन, अन्य एजेंसियों द्वारा आंशिक लंबाई का निर्माण आदि के कारण स्वीकृत लंबाई से कम में पूरी हुई है।*